

②

Rev / 3567 / पत्रा / भू श / 2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियंता आदि के हस्ताक्षर
16.7.18	<p>तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 23/2/17 अनुलग्न आवेदन हीरालाल शिवदरे का शिकायती आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अनिवेदन रामरतन प्रजापति के द्वारा आवेदन की मुद्रि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। उक्त आवेदन के साथ ही अनिवेदनों के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रचार भी समाप्त कर प्रचार दारिद्र्य-रिकॉर्ड किया गया है।</p> <p>(2) मेरे द्वारा फट. नं. 9 का तहसीलदार पत्रा को लिखे पत्र का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अनिवेदन राम रतीन पिता रामराध के द्वारा आबारी मुद्रि (नं. 4001) के फल की शासकीय शास्त्र पर एक खाद कर निर्माण किया जा रहा है।</p> <p>(3) तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि अनिवेदकों के द्वारा शासकीय मुद्रि पर किये गये निर्माण कार्य / अतिक्रमण को विधि अनुलग्न कार्यवाही कर तीन मीटर की सीमा में हटाये।</p>	

16.7.18

अदरम